UPFR040184742026

Shamshabad
Bail Application/2862/2026
State Government Vs. Naresh and 11 others

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर, फर्रूखाबाद
वाद सं० 9555/26
राज्य बनाम नरेश चन्द्र आदि
मु०अ०सं० 202/2025
धारा 191(2), 333, 115(2)B.N.S
थाना शमसाबाद जि०फर्रूखाबाद।

दिनांक 25–08–2026

अभियुक्तगण **नरेश चन्द्र, सत्य कुमार पाल, संजय कुमार पाल उर्फ संजू, सुमित उर्फ दिनेश, सौरभ कुमार, विजेन्द्र, जयवेन्द्र, अर्जीत कुमार उर्फ अजीत, सत्येन्द्र, योगेन्द्र, नेमित एवं अमन** की ओर से धारा 191(2), 333, 115(2)B.N.S थाना शमसाबाद जिला फर्रूखाबाद के अपराध में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में **माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० (2022) 10SC51** में पारित सिद्धांत के आलोक में अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में नहीं लिया गया।

अभियुक्तगण की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण को झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण पर लगे सभी आरोप झूंठे व निराधार है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य कथनों के साथ जमानत की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एक राय होकर उसके घर में घुसकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर चोटें पहुंचाने का आरोप है। अभियुक्तगण पर दौरान विवेचना धारा 35 (3)BNSS की नोटिस की तामील है। अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० (2022) 10SC51** में पारित सिद्धांत के आलोक में, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **नरेश चन्द्र, सत्य कुमार पाल, संजय कुमार पाल उर्फ संजू, सुमित उर्फ दिनेश, सौरभ कुमार, विजेन्द्र, जयवेन्द्र, अर्जीत कुमार उर्फ अजीत, सत्येन्द्र, योगेन्द्र, नेमित एवं अमन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा रुपये (20,000) **बीस हजार** की धनराशि का स्वयं का बन्धपत्र व उतनी ही धनराशि के **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाये।

(ओमश्री चौरसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदर,
फर्रूखाबाद।
I.D.No.U.P.3605

Digitally signed by OMSHREE CHAURASIA
Date: 2026.08.25 15:24:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court